

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

राजस्व वाद संख्या : 129/2024

निर्णय दिनांक : 28.02.2025

जीसीएमएस संख्या- 2024/263

दायर दिनांक - 18.12.2024

अणजीत सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम करेजडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु

.....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान

.....प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती

उपस्थित :-

1. श्री मोहनलाल बिस्सु एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी परोकार राज उपस्थित।


—:निर्णय:—

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खसरा संख्या 329 तादादी 30.9803 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम करेजडा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादी का नाम दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने गलती से वादी का बोलता नाम अजीत सिंह पुत्र हनुमानसिंह के नाम खातेदारी अंकित कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम अणजीत सिंह पुत्र हनुमान सिंह है जो कि वादी के पहचान के दस्तावेजात आदि में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादी का नाम अजीत सिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी करेजडा खातेदार दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम अणजीतसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत है। अजीत सिंह व अणजीतसिंह दोनों एक ही व्यक्ति हैं अलग-अलग नहीं हैं। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अजीतसिंह पुत्र हनुमानसिंह के स्थान पर अणजीतसिंह पुत्र हनुमानसिंह किया जाना उचित है।



  
उप खण्ड अधिकारी  
सुजानगढ़

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, आयकर विभाग का पहचान प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रति, इईविंग लाइसेंस आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम अणजीतसिंह पुत्र हनुमानसिंह अंकित है। अतः युताधिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

### आदेश

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 329 तादादी 30.9803 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम करेजड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम अजीतसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी करेजड़ा खातेदार के स्थान पर अणजीतसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी करेजड़ा खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को टंकित करवाया जाकर खुले अदालत में सुनाया गया।



(के)  
(अ.म.स.स.स. अधिकारी)  
उपखण्ड अधिकारी  
सुजानगढ़

# डिकरी व मुकदमें इत्बादाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अजय अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़  
श्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

अणजीत सिंह बनाम राजस्थान सरकार  
दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरुरती

मुकदमा न0 129 सन 2024

यह मुकदमा आज वारते इन्फिसाल कतई रु-ब-रु .....

हाजरी श्री मोहनलाल बिरसु एडवोकेट, मिनजानिव मुद्दई व पैरोकार राज मिनजानिव मुदापलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 329 तादादी 30.9803 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम करेजड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम अजीतसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी करेजड़ा खातेदार के स्थान पर अणजीतसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी करेजड़ा खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज..... मुबलिंग ..... बाबत .....  
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ..... फीसदी  
सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक .....  
को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 02 2025



दस्तखत मुद्दई/अधिकारी.....  
ओहदा सुजानगढ़.....

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिशनर बाबतइजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिशनर बाबतइजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये